उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0
(यू0पी0आर0एन0एस0एस0लि0)
राजकीय निर्माण एजेन्सी
जी–4/5बी, सेक्टर–4, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ–226010
फोन नं0–05222390150, 05222390151
(आई0एस0ओ0: 9001–2008)

पत्रांकः मु0अभि0 सि0-300 /सिदिल/पंजी0/टी दिनांकः 12 फरवरी, 2021

सूचना

शासनादेश संख्या 504/49–3–2020–73/2017 टी0सी0 दिनांक 14 फरवरी, 2020 के बिन्दु संख्या–03 में उल्लिखित है कि "एए श्रेणी के ठेकेदारों जिनमें, संस्था में गैर पंजीकृत ठेकेदारों को भी निविदा डालने की अनुमति है, में गैर पंजीकृत ठेकेदारों की निविदा न्यूनतम (L–1) आने पर उन्हे संस्था में एए–श्रेणी हेतु अर्हताओं को पूर्ण करते हुए पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।" तदक्रम में संस्था में जनपद–रायबरेली में 50 वेडेड आयुष हॉस्पिटल के निर्माण कार्य, जनपद–अमेठी में आई0टी0आई0 विकास खण्ड वहादुरपुर तेन्दुआ (खालिसपुर) के अवशेष निर्माण कार्य एवं जनपद–मऊ के राजकीय पॉलीटेक्निक ए0आई0सी0टी0 के निर्माण कार्य हेतु आमंत्रित निविदाओं में निम्नलिखित ठेकेदारों की निविदा न्यूनतम (L–1) पाये जाने के दृष्टिगत पंजीकरण नियमावली में निहित नियम एवं शर्तो के अधीन पंजीकरण हेतु उपयुक्त पाया गया है, जो कि निम्नवत् हैः–

क्र0 सं0	फर्म का नाम	श्रेणी
1.	मेसर्स अभिनव इण्टरप्राइजेज, जनपद–रायबरेली।	एए
2.	मेसर्स शशांक इण्टरप्राइजेज, जनपद–लखनऊ	एए
3.	मेसर्स रामजन्म सिंह, जनपद–मऊ	एए

नोटः–

1. क्रमांक संख्या–01, 02 व 03 के आवेदनकर्ताओं के प्रपत्रों (एफ0डी0आर0, अनुभव, चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र आदि) का सत्यापन कराया जायेगा। यदि उक्त प्रपत्रों में से भविष्य में कोई भी प्रपत्र के किसी भी स्तर पर असत्य/फर्जी पाये जाते है तो उक्त पंजीयन, निर्माण कार्य हेतु किया गया अनुवन्ध स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

मुख्य अभियन्ता
यू0पी0आर0एन0एस0एस0,
लखनऊ।